# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

**अपील संख्या :– 1586/2023**

घनश्याम गुप्ता **–अपीलार्थी**

**बनाम**

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक विभाग ए–1, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. मारिया शाइन ए., वर्तमान अपीलार्थी के स्थान पर पदस्थ डीसीएफ, टोंक।

**–प्रत्यर्थीगण**

**प्रस्तुतिकरण की दिनांक** : 23.06.2023

**आदेश की दिनांक** : 26.06.2023

**उपस्थित –**

**अपीलार्थी की ओर से** : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक

**प्रत्यर्थी विभाग की ओर से** : श्री कमल कुमार माथुर, केविएटर

**प्रत्यर्थी सं. 3 की ओर से** : श्री विजय पाठक, केविएटर

**समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)**
**शुचि शर्मा, सदस्य**

## आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में उप वन संरक्षक (आरएफएस सेलेक्शन स्केल) के पद पर जिला टोंक में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 20.06.2023 के द्वारा निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 का स्थानान्तरण अपीलार्थी के स्थान पर कर दिया गया। जबकि अपीलार्थी का स्थानान्तरण नहीं किया गया और उसे उक्त आदेश के क्रम में आदेशों की प्रतीक्षा में मानते हुए प्रत्यर्थी विभाग अपीलार्थी को कार्यमुक्त करने जा रहे हैं। अपीलार्थी आरएफएस सेलेक्शन स्केल आदेश दिनांक 05.07.2022

के द्वारा उप वन संरक्षक, टोंक में रिक्त पद के विरूद्ध पदस्थापित किया गया था और वह माह अक्टूबर, 2025 में सेवानिवृत्त होने जा रहा है। स्थानान्तरण नीति के अनुसार यदि सेवानिवृत्ति में 2 वर्ष का समय शेष है तो ऐसे कार्मिक का स्थानान्तरण किए जाने से रोका गया है। अधिकरण द्वारा भी ऐसे स्थानान्तरण आदेशों के विरूद्ध कार्मिक को कार्यमुक्त नहीं करने के आदेश दिए हैं। इस प्रकार प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी किया गया उक्त आलोच्य आदेश नीति एवं नियमों के विपरीत है।

अतः आलोच्य आदेश दिनांक 20.06.2023 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे और प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिया जावे कि अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान से कार्यमुक्त नहीं किए जाने का आदेश फरमाए जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता केविएटर ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण आलोच्य आदेश के द्वारा नहीं किया गया है और न ही उसे कार्यमुक्त किया गया है। राज्य सरकार को यह अधिकार है कि राज्यहित में किस अधिकारी/कर्मचारी की सेवाएं कहां पर ली जानी है। इस प्रकार आलोच्य आदेश नियमानुसार एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

प्रत्यर्थी संख्या की ओर से केविएटर उपस्थित एवं लिखित जवाब प्रस्तुत न करते हुए मौखिक रूप से बहस की है कि निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 का पदस्थापन नियमानुसार किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई नियम विरूद्धता नहीं है। आलोच्य आदेश सक्षम स्तर पर नियमानुसार जारी किया गया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता एवं प्रत्यर्थी विभाग तथा निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 की ओर से उपस्थित केविएटर की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी के स्थान पर निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 को पदस्थापित किया गया है, जो भारतीय वन सेवा संवर्ग में कार्यरत हैं। जबकि अपीलार्थी राजस्थान वन सेवा में कार्यरत है और इस प्रकार हमारे मत में निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 के संबंध में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप किया जाना अधिकरण के न्यायक्षेत्र से बाहर है। इस प्रकार अधिकरण द्वारा निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 के पदस्थापन के संबंध में आदेश देना उचित प्रतीत नहीं होता है। जहां तक अपीलार्थी को पदस्थापित/स्थानान्तरण नहीं किए जाने का प्रश्न

है, इस संबंध में प्रत्यर्थी विभाग को हम यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि दो सप्ताह की अवधि में अपीलार्थी को यथोचित पदस्थापन किया जाना सुनिश्चित करें।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र के उक्त निर्देशों के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

**(शुचि शर्मा)**
**सदस्य**

**(अनन्त भंडारी)**
**सदस्य (न्यायिक)**